

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:-पं दी.उ. पंखवाडा / 2025 / 176

प्रकरण सं. 164
दिनांक: 29/7/25

आदेश

प्राथी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व मू.अ.
नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुमति के आधार पर
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	शिवनगर राठ	10	355/103	तारा राम कुव भावाराम	तारा राम कुव भावाराम

(जगदीशसिंह आशिया)
पीठासन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी

दिनांक:- 29/7/25

क्रमांक:-सम./2025/ 177-179

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्राथी तहसील सिणधरी को सूचनाएं
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी

